

14.06.2022

आईआरडीएआई द्वारा फ़सल बीमा के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन की अपेक्षा कम की गई Solvency Margin requirement for crop insurance relaxed by IRDAI

आईआरडीएआई ने अपने सुधारों की शृंखला में फ़सल बीमा करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन की आवश्यकता को कम कर दिया है। यह कदम अधिक व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के लिए साधारण बीमाकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि करेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से आईआरडीएआई शोधन-क्षमता के परिकलन के प्रयोजन के लिए सरकार से प्राप्य प्रीमियम की स्वीकार्यता की अवधि को 180 दिन से शिथिल करके 365 दिन करता आया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त छूटें वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगे अगले आदेशों तक बढ़ाई जाएँ। यह कदम समग्र रूप में साधारण बीमा उद्योग की शोधन-क्षमता की स्थिति में सुधार लाएगा।

यह प्रत्याशित है कि इस छूट का प्रभाव उद्योग पर सकारात्मक होगा क्योंकि यह पूँजी को मुक्त रखेगा, जिसका उपयोग अधिक व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के लिए किया जा सकता है। यह अनुमान है कि लगभग रु. 1400 करोड़ की राशि मुक्त होगी तथा साधारण बीमाकर्ता इस अवसर का उपयोग इस मुक्त की गई पूँजी को ऐसे तरीके से इष्टतम बनाने के लिए कर सकते हैं जो भारत में बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

IRDAI, in its series of reforms, has reduced the solvency margin requirement for Insurers doing crop business. This move will increase the capacity of General Insurers to underwrite more business.

Since FY 2017-18, IRDAI has been relaxing the period of admissibility of premium due from Government for solvency calculation purpose, from 180 days to 365 days. Now, it has been decided to extend the above relaxations from FY 2022-23 onwards till further orders. This move will improve the solvency status of the General insurance industry as a whole.

It is expected that the effect of this relaxation will be positive on the Industry as it will free up the capital, which can be utilized for underwriting more business. It is estimated that approximately Rs.1400 crores will be unlocked and General insurers may use this opportunity to optimize this freed up capital in a way which leads to increased insurance penetration in India.